


फर्द अहकाम

श्रीमन्नारायण बनाम अर्जुन कोतोनाईजल जयपुर

67/2024

क्र आजा या कार्यवाही	अदालत स्थित रूप से	दिनांक दि
11/11/24	<p>पुजावली पेश हुई। वकील उमर पक्ष 300 वदत उमर पक्ष जार्जना फा टीक अर्जुन गई। वदत टीक अर्जुन व पुजावली क्रम दास्तावेज शिवलोकन अले पर अहकाम द्वारा जारी आदेश दिनांक 11/3/2024 को मूलवाद के निस्तारण के तहत अन्तर्गत जाता है। पुजावली के फल शुभ्राट देव दर्ज नम्य है कि हमारे वरत अर्जुन डाकिल दफतर है।</p>	<p> उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

